



918116

अभिलेख उपस्थापित किया गया / मौखिक  
 नाशिका के पञ्चायत प्राप्ति हुआ / जमाना की  
 रीति के वंशज जमाना में उपस्थापित  
 हुए तथा केवल द. ल. ग. र. की  
 वर्ष 1984 तक ही दावा प्रति लाभ  
 मिले है। जो प्रमाण नहीं है। उनके  
 द्वारा किसी सचिव कार्यालयी के आदेश  
 की प्रति एवं अन्य ठीक सचिवों की मूल  
 प्रति। प्रमाणित की प्रति सचिवी नहीं मिले है।  
 जिससे कि यह प्रमाणित है, उनके  
 उक्त जमाना की वैध (VALID) है।

अतः ऐसी परिस्थिति में  
 संकल्पित राजस्व कार्यकारी एवं संचालन निरीक्षण  
 के प्रतिवेदन एवं अनुशासन के आचार्य  
 उक्त जमाना की शर्त करने की अनुशासन  
 की जाती है।

अतः कार्यवाही हेतु अभिलेख  
 प्रति उक्त प्रमाणित, धनदाता  
 में है।

9/11/16  
 संचालन अधिकारी  
 नाशिका

अधल अधिकारी का कार्यालय बलियापुर  
2013 (अन्वैतित धारा-4(b), B.L.R Act, 1950)

वाव अनिलेख संख्या- 236

सूचना

बनाम

श्री राजवार पिठु राजवार  
सो. 01/2/16

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि 01/2/16 धाना नं- 182  
खाता नं- 62 खेसरा नं- 1 रकबा 1.98 वर्गवृत्त आपके नाम से  
हो नं- 11 के पत्ती-11 भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अधल निरीक्षक के माध्यम से जांच कराने का विवेक किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 9/8/16 को समय 11:30 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुजूमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निर्गत होने के बंध सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय प्रकाष्ठ में तपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समय रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर मूह्वते हुए  
दर्ज जमाबंदी के संबंध में सुचित-सुगत निर्णय लेते हुए निविस्मृत अनुपस्था कर दी जायेगी।

इसे सरदा लकोद जाने।

25/8/16

अधल अधिकारी  
बलियापुर

तिथि:-

मुहर

स्थान:-

25/8/16

robin C:\Users\HP\Desktop\binod s\court case.docx

अजय शर्मा

बालिष तामिना शिवा  
चा. 02/4 197 मही  
06/8/16